न्यायालय उपखण्ड अधिकारी.नीमकाथाना (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:– राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 01/2021

1. प्रहलादराम सिरोहीवाल पुत्र नानडराम जाति बलाई निवासी स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत स्यालोदड़ा, नीमकाथाना।
2. शंकर दत्तक पुत्र सुरजा जाति बलाई निवासी स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना।

–रेस्पोंडेन्टस

उपस्थिति:– श्री मुरारीलाल शर्मा एडवोकेट, नीमकाथाना –अपीलान्ट
श्री हर्ष कुमार सैनी एडवोकेट, नीमकाथाना –रेस्पो. सं. 2

निर्णय

दिनांक : 2/8/2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 02.09.1973 सरपंच ग्राम पंचायत तत्कालीन बिहार वर्तमान स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि पुराने ख.नं. 843 नया ख.नं. 1014 रकबा 0.27 हे. राजस्व ग्राम स्यालोदड़ा में स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पिता नानड़ पुत्र रामु के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी।

नानड की विरासत का नामान्तकरण सं. 127 अकेले अपीलान्ट के नाम भरा जाना था परन्तु रेस्पो.सं. 2 द्वारा अपने आप को नानड़ का उत्तराधिकारी बताकर नामान्तकरण दर्ज करा लिया। रेस्पो. सं. 2 शंकर 8 वर्ष की आयु में अपने ताऊ सुरजाराम के गोद चला गया था। जिसका [illegible] दिनांक 04.09.1997 को निष्पादित कराया हुआ है। इस प्रकार [illegible] की तमाम सम्पत्ति में उसके विरासत के तमाम [illegible] अपीलान्ट सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 127 गलत तस्दीक किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सम्पतित प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। रेस्पों सं. 2 रजिस्टर्ड गोदपत्र से सुरजाराम का दत्तक पुत्र बन [illegible] है [illegible] की विरासत का नामान्तकरण संख्या 565 रेस्पो. सख्या 2 शंकर [illegible] हो [illegible] है। इस प्रकार एक व्यक्ति दो जगह विरासत प्राप्त नहीं कर सकता। नियम विरुद्ध भरे गये नामान्तकरण में जहां तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि मियाद को तकनीकी बिन्दु के रूप में नहीं देखा जाकर व्यवस्थित न्याय के बिन्दु को केन्द्रित कर देखा जाना चाहिये। इस प्रकरण में नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मेरी विनम्र राय में कानून की सर्वोपरिता को कायम रखने के लिये मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदारता से विचार करना चाहिये केवल मियाद के तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण को खारिज नहीं किया जाना चाहिये। मुताबिक नकल नामान्तकरण के अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाना पाई जाती है। मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य पाई जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा होते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्रा.पं. स्यालोदड़ा का आदेश दि. 02.09.1973 बाबत ना.सं. 127 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, पाटन को पत्रावली निर्णय के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार नानड़िया/नानड़राम पुत्र रामु जाति बलाई निवासी स्यालोदड़ा तहसील पाटन के विधिक वारिसान की विधिवत जांच कर नामान्तकरण पुनः दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:36:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner